

**न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट (म.प्र.)**  
**पीठासीन अधिकारी-रामजी लाल ताम्रकार**

**व्यवहार वाद क्रमांक 87ए/2017**  
**प्रस्तुति दिनांक-14.07.2017**

1. एरिक स्वामी पिता जॉन हेराल्ड, उम्र 60 वर्ष, जाति ईसाई,
2. ऐलिजाबेथ फ्रांसिस बेवा एंथोनी उर्फ राजू, उम्र 58 वर्ष,
3. फ्रांसिस डिसेल पिता हेराल्ड जान, उम्र 55 वर्ष, ईसाई,
4. डेविड एंथोनी पिता हेराल्ड जान, उम्र 53 वर्ष, जाति ईसाई,
5. श्रीमती कैरोलिन पति सारथी शर्मा पिता हेराल्ड जान ईसाई,
6. श्रीमती अन्ना डारथी पति गोविंद श्रीवास्तव पिता हेराल्ड जान, उम्र 58 वर्ष, जाति ईसाई। सभी निवासी ग्राम हिरापुर, तहसील एवं जिला बालाघाट।

----- वादीगण।

**-:: बनाम ::-**

1. श्रीमती सातन बाई जौजे सुखचंद, उम्र 76 वर्ष, जाति गोवारा,
2. चैनलाल पिता सुखचंद, उम्र लगभग 58 वर्ष, जाति गोवारा, दोनों निवासी ग्राम हिरापुर, तहसील एवं जिला बालाघाट।
3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट, कलेक्टोरेट कार्यालय बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट।

----- प्रतिवादीगण।

**-::: आदेश :::-**

**(आज दिनांक 28/07/2017 को पारित)**

**01-** इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है। यहाँ यह भी उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि उक्त आवेदन में नियम 3 का भी उल्लेख है परन्तु आवेदन पर एकपक्षीय कोई आदेश जारी न किए जाने से उक्त नियम का उल्लेख औचित्यहीन हो जाता है। तर्क के दौरान उक्त नियम 3 पर बल न देना व्यक्त किया गया।

**02—** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगण की पूर्वज सम्पूर्णाबाई ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.3.1965 के मुताबिक ग्राम हिरापुर, तहसील एवं जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 49/1, 49/1ट, 50/2क, क्रमशः रकबा 2.06, 0.80, 0.20 कुल 3.06 एकड़ कय किया।

**03—** वादीगण की ओर से वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में दिनांक 14.7.2017 को एक दावा वास्ते घोषणा एवं निर्माण का ध्वस्त कराकर कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया जो कि दावा आदेश दिनांक 17.7.2017 के मुताबिक पंजीबद्ध किया गया। वादीगण के द्वारा दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया है जो कि संक्षेप में इस प्रकार है। वादीगण ने आवेदन में ऐसा उल्लेख किया है कि वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी वादी के पक्ष में है। दावे से संबंधित सभी तथ्यों को वाद पत्र में अभिवचन के रूप में दर्शित किया गया है साथ ही वादपत्र के साथ वादग्रस्त सम्पत्ति का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है जो लाल स्याही से चिन्हित कर दर्शाया गया है। आवेदन में ऐसा बताया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 बिना किसी विधिक प्राधिकार के अनाधिकृत रूप से वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि में तेजी से अवैध रूप से मकान का निर्माण कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर प्रकरण चलने के दौरान प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को अवैध रूप से मकान निर्माण करने से नहीं रोका गया तो वादीगण के वाद प्रस्तुत करने का औचित्य समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में निवेदन किया गया है कि दावा चलने के दौरान प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से नवीन निर्माण करने से रोका जावे।

**04—** प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के द्वारा उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वादीगण के पूर्वज सम्पूर्णाबाई के द्वारा दिनांक 3.3.1965 को ग्राम हिरापुर के ढिमरू और हंसाबाई से पंजीकृत विक्रय

पत्र के माध्यम से खसरा नंबर 49/1, 49/1ट, 50/2क, क्रमशः रकबा 2.06, 0.80, 0.20 कुल 3.06 एकड़ में से 20 डिसमिल भूमि पर कवेलू वाला मकान बना था, को क्रय किया था। सम्पूर्णाबाई ने सातनबाई को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.2.1966 के माध्यम से अपने द्वारा क्रय की गई भूमि खसरा नंबर 50/2क रकबा 20 डिसमिल में से 02 डिसमिल मौके पर उत्तर-दक्षिण में 15 हाथ तथा पूर्व-पश्चिम में 30 हाथ विक्रय किया था जिसके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। उसी दिनांक से प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं।

**05—** आवेदन में ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा वादी के पूर्वज से 02 डिसमिल भूमि जिस पर कच्चा मकान बना था, क्रय किया था और उसी में निवास करते चले आ रहे थे लेकिन मकान पुराना होकर जीर्ण-शीर्ण हो गया था। बरसात के समय उसके गिरने की संभावना बन गई थी जिससे जन-धन की हानि हो सकती थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम पंचायत हिरापुर से निर्माण की अनुमति लेकर मकान का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। वादीगण को वर्ष 2012 में प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की जानकारी नकल लेने पर हो गई थी इसके बाद भी वादीगण ने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण रा.प्र.क्र.-14/अ-70/14-15 डेविड वि० चैनलाल के नाम से दर्ज हुआ। हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा ई.टी.एस. मशीन से भूमि का सीमांकन कराया गया जिस पर वादी की भूमि ख.नं. 57/1 में प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण करना नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बालाघाट ने आवेदन निरस्त कर दिया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट के समक्ष रा. अपील क्र. -25/अ-70/16-17 डेविड वि० सातनबाई के नाम से प्रस्तुत की गई जो कि अपील 30.6.2017 को निरस्त कर दी गई।

**06—** प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में आगे ऐसा भी उल्लेख किया है कि वादीगण के पूर्वज सम्पूर्णाबाई के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ख.नं.

50/2क की भूमि विक्रय की गई जिसका चकबंदी के बाद नया खसरा नंबर 57/2 बना जो कि भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक-1 का विगत 32 वर्षों से मौके पर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का दावा अवधि-बाह्य है। वादीगण की भूमि अर्थात् सम्पूर्णाबाई के द्वारा कय की गई भूमि अलग है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा कय की गई भूमि अलग है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 उक्त मकान के निर्माण में 2,00,000 रुपए की लागत लगा चुके हैं एवं निर्माण सामग्री एकत्रित कर लिए हैं अगर ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई तो उनको अपूर्णीय क्षति होगी और निर्माण सामग्री चोरी हो जायेगी। ऐसी स्थिति में निवेदन किया गया है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त किया जावे।

**07— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण के लिए निम्न प्रश्न विचारणीय हैं कि :-**

- 1— क्या वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है ?
- 2— सुविधा का संतुलन ?
- 3— अपूर्णीय क्षति ?

**—:: सकारण-निष्कर्ष ::—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-**

**08—** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण की पूर्वज सम्पूर्णाबाई ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.3.1965 के मुताबिक ग्राम हिरापुर, तहसील व जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 49/1, 49/1ट, 50/2क, क्रमशः रकबा 2.06, 0.80, 0.20 कुल 3.06 एकड़ कय किया। प्रकरण में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसके मुताबिक सम्पूर्णाबाई ने अपनी उक्त भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1 सातनबाई को खसरा नंबर-50/2क जिसका रकबा 0.20 एकड़ था उसमें से 0.02 एकड़ भूमि अर्थात् मौके पर 15 हाथ चौड़ी, 30 हाथ लम्बी जिसकी चौहद्दी पूर्व में सम्पूर्णाबाई की भूमि, पश्चिम एवं दक्षिण में धर्मशाला, उत्तर में पी.डब्ल्यू.डी.सड़क के बीचो-बीच स्थित भूमि दिनांक 28.2.1966 को विक्रय की। हालांकि इस विक्रय पत्र के



निष्पादन को वादीगण ने अपने दावे में स्वीकार नहीं किया है वरन् उसे चुनौती दी है।

**09—** इस दावे में वादीगण की मुख्य पीड़ा यह है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 बिना किसी विधिक अधिकार के उनकी भूमि में मकान का निर्माण कार्य कर रहे हैं। विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 28.2.1966 का अपने अस्तित्व में है। वर्तमान में राजस्व अभिलेख पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 सातनबाई के नाम पर नया खसरा नंबर-57/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर दर्ज है। क्रेता सातनबाई अपने द्वारा क़य की गई भूमि 0.02 एकड़ के मुताबिक कुल 900 वर्गफिट के एरिया के अंदर ही निर्माण कार्य कर सकती है। मौके के जो छायाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं उनमें पुराना कवेलू का मकान सातनबाई का मौके पर स्थित रहा है उसी स्थान पर उक्त रकबे की सीमा तक अगर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो उक्त निर्माण कार्य को अवैध होना नहीं कहा जा सकता, परन्तु अगर क़य की गई भूमि के बाहर जाकर अपनी सीमा का विस्तार करके अगर को नवीन निर्माण कार्य पुरानी चौहद्दी से हटकर किया जाता है तो ऐसा निर्माण कार्य वैधानिक नहीं माना जा सकता है। इस तरह के निर्माण कार्य को रोकना न्यायोचित होगा। क्योंकि अगर अवैध निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया तो उससे वादों की बाहुल्यता बढ़ेगी तथा पक्के निर्माण कार्य को हटाने में जहाँ वादी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा वहीं प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को भी लागत की क्षति होगी।

**10—** प्रकरण में वादी की ओर से खसरा पांचसाला की नकल प्रस्तुत की गई है जिसमें खसरा नंबर-57/1 जिसका रकबा 0.867 हेक्टेयर है, वह भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज है। वादीगण ने जो दावा पेश किया है उसमें वादग्रस्त भूमि का नया खसरा नंबर 49/1क, 50/2क को मिलाकर नया खसरा नंबर-57 रकबा 2.26 एकड़ बना तथा खसरा नंबर 45/1ट का नया खसरा नंबर-89 रकबा 0.80 एकड़ बना। इस दावे में विवादित भूमि खसरा नंबर 57 रकबा 2.06 एकड़ होना बताई गई है तथा ऐसा उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने दिनांक 28.2.66 के विक्रय पत्र के माध्यम से संशोधन पंजी क्रमांक-210 के मुताबिक प्रतिवादी क्रमांक-1 ने खसरा नंबर 50/2क के अंश रकबा 2 डिसमिल के संबंध में नामांतरण कराया। इस दावे में ऐसा उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के द्वारा 40 X 50 =

2000 वर्गफिट पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि निर्माण कार्य ए, बी, सी, डी, ई स्थान पर किया जा रहा है जिसे वादीगण ने अपनी सम्पत्ति होना बताया है।

**11—** प्रकरण में वादीगण के द्वारा इस दावा प्रस्तुती के पूर्व तहसील बालाघाट के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर राजस्व निरीक्षक से मौके की जांच कराई गई जिसके मुताबिक राजस्व निरीक्षक ने मौके का सीमांकन किया और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि खसरा नंबर 57/1 रकबा 0.867 हेक्टेयर भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज है तथा खसरा नंबर 57/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर अर्थात् 02 डिसमिल भूमि प्रतिवादी सातनबाई के नाम दर्ज है। सीमांकन करके मौके पर उभय पक्षकारों को भूमि की सीमा बताई गई। प्रतिवेदन के अंत में ऐसा उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी सातनबाई वादीगण की भूमि में निर्माण कार्य नहीं कर रही है जिसके आधार पर तहसीलदार बालाघाट के द्वारा आदेश दिनांक 28.12.2016 को पारित किया गया वादीगण का आवेदन निरस्त कर दिया गया है उसके विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट के समक्ष पेश की गई जो कि अपील आदेश दिनांक 30.6.2017 के मुताबिक खारिज की गई। अपील लम्बित रहने के दौरान जो प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को सम्बोधित कर प्रस्तुत किया गया उसमें पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में ऐसा उल्लेख किया है कि सातनबाई का मकान खसरा नंबर 57 की सीमा में बना हुआ है। नया मकान दूसरे खसरा नम्बर में बनाया जा रहा है।

**12—** प्रकरण में वादीगण की ओर से जो छायाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं उसमें पुराने कवेलू मकान की जो सीमा अवलोकित होती है वह विक्रय पत्र दिनांक 28.2.1966 के मुताबिक 15 हाथ चौड़ी एवं 30 हाथ लम्बी की पाई जाती है, परन्तु वर्तमान में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उस निर्माण कार्य में सीमा का विस्तार प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 कर रहे हैं ऐसा छायाचित्रों के अवलोकन से स्पष्ट दर्शित होता है। मौके पर 02 डिसमिल अर्थात् 900 वर्गफिट की सीमा तक निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसा स्थापित करने के लिए प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से कोई तथ्यपरख दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। छायाचित्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 अपनी सीमा का विस्तार करना चाहते हैं, परन्तु प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने मौके पर अन्य भूमि अर्जित की है ऐसा दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**13—** वादी ने अपने दावे में भी यही उल्लेख किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 विस्तारित रूप में लगभग  $40 \times 50 = 2000$  वर्गफिट में निर्माण कार्य कर रहे हैं तो फिर 900 वर्गफिट एरिये को छोड़कर शेष एरिये पर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 अवैध निर्माण कर रहे हैं, की स्थिति स्पष्ट परिलक्षित होती है। इस तरह से इस स्तर पर वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल और सारवान होना पाया जाता है।

**14—** उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3 का निराकरण :-**

**15—** उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.2.1966 के माध्यम से जो भूमि क़य की गई उसका वर्तमान में खसरा नंबर 57/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर है उस सीमा तक प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 मौके पर स्थित पुरानी चौहद्दी पर निर्माण कार्य कर सकते हैं, परन्तु वे बिना किसी विधिक प्राधिकार के मौके पर अपनी सीमा को लांघकर वादीगण की भूमि में अतिक्रमण करके निर्माण कार्य नहीं कर सकते। । इस स्तर पर उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं छायाचित्र से दर्शित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 अपनी सीमा का विस्तार करके निर्माण कार्य करना चाहते हैं। अगर इस तरह से निर्माण कार्य प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 करते हैं तो वादीगण को असुविधा का सामना करना पड़ेगा साथ ही साथ वादीगण को अपूर्ण क्षति होना भी संभावित है।

**16—** प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 28.2.1966 के माध्यम से केवल 02 डिसमिल भूमि क़य की है जिस पर उसका पुराना मकान बना था जिसकी विक्रय पत्र के मुताबिक चौड़ाई 15 हाथ एवं लम्बाई 30 हाथ थी अर्थात् 900 वर्गफिट से अधिक नहीं होना चाहिए। परन्तु प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 अपनी सीमा का विस्तार करके वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में विस्तारित निर्माण कार्य करने से प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को रोकने से किसी प्रकार की अपूर्ण क्षति होने की संभावना नहीं है।

17— उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू वादीगण के पक्ष में है।

18— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया सबल और सारवान है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के पक्ष में होना पाया गया है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का आशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अग्रिम आदेश पर्यन्त तक या प्रकरण के निराकरण तक के लिए प्रभावी की जाती है :-

(1)— प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.2.1966 के मुताबिक ग्राम हिरापुर तहसील व जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नंबर 57/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर अर्थात् 02 डिसमिल की सीमा में अपनी पुरानी चौहद्दी के मुताबिक 15 हाथ चौड़ाई पर एवं 30 हाथ लम्बाई पर निर्माण कार्य कर सकते हैं। परन्तु उक्त निर्माण कार्य की आड़ में वादीगण की भूमि जो कि ग्राम हिरापुर, तहसील एवं जिला बालाघाट में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 57/1 रकबा 0.867 हेक्टेयर पर या उसके किसी अंश पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते। वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार का कोई व्यवधान स्वयं अन्य किसी माध्यम से उत्पन्न नहीं कर सकते इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

(2)— प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से कय की गई भूमि 02 डिसमिल की सीमा में अपनी पुरानी चौहद्दी के मुताबिक स्थान पर ही निर्माण कार्य करेंगे इस बाबत प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 संयुक्ततः 50,000 रुपए का बंधपत्र 100 रुपए के स्टाम्प पर आदेश दिनांक से 07 दिवस के भीतर पेश करें।

(3)— वादीगण के आवेदन के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को वादीगण की भूमि में निर्माण कार्य करने से रोका गया है उससे अगर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को किसी प्रकार की कोई क्षति का सामना करना पड़ता है तो



वादीगण संयुक्त: इस आशय का बंधपत्र पेश करे कि वे प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को होने वाली क्षति का भुगतान न्यायालय के आदेश पर करने के लिए तत्पर व तैयार रहेंगे।

19— इस आदेश का प्रभाव प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर पारित होने वाले निर्णय पर नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—  
(रामजी लाल ताम्रकार)  
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बालाघाट (म.प्र.)

सही /—  
(रामजी लाल ताम्रकार)  
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बालाघाट (म.प्र.)